कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार)
Employees' Provident Fund Organisation

(Ministry of Labour & Employment, Govt. Of India)

मुख्य कार्यालय/ Head Office

भविष्य निधि भवन, 14-भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली-110066

Bhavishya Nidhi Bhawan, 14-Bhikaji Cama Place, New Delhi-110066

संख्या: समन्वय/2(2)02/प्रस्तावित संशोधन/खंड-III/1150/208/ दिनांक

सेवा में

सभी अपर केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त (अंचल)
सभी क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त (क्षेत्रों के प्रभारी)

विषय : कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 में व्यापक संशोधन ।

महोदय,

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने अपने पत्र संख्या एस-35012/3/05-एस.एस.-II दिनांक 17 मई, 2010 द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 1952 में व्यापक संशोधन हेतु विचार-विमर्श के लिए कार्यदल का गठन करने के संबंध में माननीय श्रम एवं रोजगार मंत्री / अध्यक्ष, केन्द्रीय न्यासी बोर्ड की स्वीकृति के संबंध में सूचित किया है ।

कार्यदल अपनी बैठकों के दौरान विभिन्न स्टेकहोल्डरों से प्राप्त सुझावों पर विचार करेगा तथा इस संबंध में एक रिपोर्ट तैयार करेगा जिसे केन्द्रीय न्यासी बोर्ड, क.भ.नि. के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा । आपसे अनुरोध है कि इस संबंध में अपने सुझाव, यदि हों तो, उस विशेष धारा / पैरा जिसमें संशोधन अपेक्षित है, कारण देते हुए कि यह परिवर्तन क्यों अनिवार्य है, कार्यदल के संयोजक को उनके नाम से अग्रसारित करें ।

चूंकि कार्यदल को एक निश्चित समय में कार्य करना है, अत: आपसे अनुरोध है कि अपने सुझाव 14 जून, 2010 तक भेज दें ।

भवदीय,

(राजेश बंसल)
अपर केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त (पेंशन)
एवं संयोजक, कार्यदल
02/06/2010

प्रतिलिपि समान अनुरोध के साथ :-

1. मुख्य सतर्कता अधिकारी ।
2. वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखाधिकारी ।
3. मुख्यालय में सभी अपर केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त ।
4. मुख्य अभियन्ता ।
5. निदेशक (नाटरस)
6. वैब एडमिनिस्ट्रेटर - वैबसाइटर पर अपलोड करने के लिए ।
7. केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त के निजी सचिव को सूचनार्थ ।